प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 09.11.2026

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल उसके परिजनों को सुपुर्द किया।

संक्षिप्त विवरणः--



बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1.म0उ0नि0 राधा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

2.म0का0 606 दीशू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

3.म0का0 675 मानशी शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 09.11.2026

थाना सिंघावली अहीर ने 01 जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर 01 जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है अभियुक्त वर्तमान में श्रीमान अपर जिला अधिकारी बागपत वाद संख्या वाद संख्या 402/2024 अन्तर्गत धारा 3/4 उ0प्र गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत दिनांक 20.08.2026 से अग्रिम 06 माह तक जिला बदर है एवं थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत की सीमा में अपने गाँव के गेट मौजूद मिला है। अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 3/10 गुंडा नियंत्रण अधिक 1970 के जुर्म से अवगत कराते हुए समय करीब 16.05 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया मौके पर ही गिरफ्तारी मीमो तैयार किया गया व मु0अ0सं0 356/26 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

महताब पुत्र आसक अली निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत उम्र करीब 43 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त महताब का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 -219/24 धारा 305(डी)बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2- मु0अ0स0-188/2022 धारा 380/511/453/323 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 85/2022 धारा 328/394/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0 235/11 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

5-मु0अ0सं0 356/2026 धारा 3/10 गुण्डा अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-है0का0 331 सुनील कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-का0 23 अजयपाल थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4-का0 143 अमित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना रमाला

दिनांक 09-11-2026

थाना रमाला पुलिस ने 02 अवैध पटाखा तस्कर को किया गिरफ्तार।



जनपद में दीपावली पर्व के दृष्टिगत अवैध पटाखों के भंडारण एवं व्यापार की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1. शाकिर उर्फ शाकिब पुत्र युसुफ उम्र 26 वर्ष 2. सोनू कुमार पुत्र कालू राम कश्यप उम्र 26 वर्ष निवासीगण ग्राम ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से अवैध पटाखों से भरा हुआ 01 कट्टा एवं 01 पोटली (कुल वजन 17 कि0 ग्रा0) बरामद हुई हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बंध में थाना रमाला से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

baghpatpolice

प्रेसनोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 09.11.2026

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को मोटरसाईकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगाए किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-



बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल पर घूम रहे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उक्त मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया तथा फर्जी नंबर प्लेट को कब्जे पुलिस में लिया गया है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 337/2026 धारा 345(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया है । प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-रोहन उर्फ कन्हैया पुत्र उपेन्द्र निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 फर्जी नंबर प्लेट (मोटरसाईकिल)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 187/25 धारा 109(1), 191(2), 324(4), 352 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 181/26 धारा 109(1), 115(2), 131, 333, 351(3), 352 बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 337/26 धारा 345(3) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2- उ0नि0 महेन्द्र शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3- है0का0 588 राधेश्याम थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4- है0का0 714 रविन्द्र थाना बिनौली जनपद बागपत ।

BAGHPAT POLICE

थाना बिनौली साइबर टीम , जनपद बागपत

थाना बिनौली साइबर टीम, जनपद बागपत द्वारा साइबर ठगी के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित की ऑनलाइन ठगी गई धनराशि ₹4,875/- वापस कराई । –



आवेदक/पीड़ित श्री अतुल कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी ग्राम बुढैडा, थाना बिनौली, जनपद बागपत द्वारा अपने बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ₹4,875/- की धनराशि निकाले जाने के संबंध में NCRP पोर्टल (ACK No. 23111260222510) पर शिकायत दर्ज कराई गई ।

उक्त शिकायत प्राप्त होने पर थाना बिनौली साइबर टीम द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही की गई तथा संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित कर पीड़ित के बैंक खाते में धोखाधड़ी से निकाली गई सम्पूर्ण धनराशि ₹4,875/- सफलतापूर्वक वापस कराई गई ।

आवेदक/पीडित को रुपये वापस मिलने पर थाना बिनौली पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र0सं0	नाम थाना	प्रा0पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	बिनौली	23111260222510	4875/- रूपये

आवेदक/पीडित को पैसे वापस कराने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 जितेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 अश्वनी कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-है0का0 801 सावन कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

4-म0का0 650 साधना थाना बिनौली जनपद बागपत।